महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक की ठोकर से बाइक चालक घायल, डायल 112 की मिली सहायता

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम राईतराई थाना पुसौर में रहने वाला उमेश पटेल पिता वीरेंद्र प्रसाद पटेल उम्र 21 साल आज दिनांक 3:11 2019 के सुबह पूंजीपथरा से अपने मोटरसाइकिल पर घर पुसौर आ रहा था कि सुबह करीब 8:20 बजे पूंजीपथरा-रायगढ़ रोड़ पर लाखा स्टार ढाबा के पास ट्रक के चालक द्वारा उमेश पटेल के मोटरसाइकिल को ठोकर मारने पर उमेश सड़क पर गिरकर घायल हो गया था। डायल 112 के माध्यम से कोतवाली राइनो-2 जुटमिल को इवेंट मिलने पर आरक्षक प्रकाश गिरी और कीर्तन यादव (चौकी जूटमिल) ईआरबी वाहन से मौके पर पहुंचे और आहत को ईआवी वाहन में बिठाकर केजीएच रायगढ़ इलाज के लिए भर्ती कराये।

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, राइनो और फायर ब्रिगेड ने बुझायी आग

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ राइनो को आगजनी का इवेंट मिला। इवेंट पर सारंगढ़ राइनो बीएसएनएल कॉलोनी सारंगढ़ के लिए रवाना हुई। बीएसएनएल कॉलोनी में रहने वाली नेहा सिंह राजपूत के क्वार्टर में शार्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड व डायल 112 स्टाफ व आसपास के लोगों ने आग काफी मशक्त के बाद आग को बुझाये।

छत का अलवेस्टर उठाकर कपड़ा दुकान में चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ-घरघोड़ा रोड श्याम बैग हाउस के सामने स्थित कपड़े दुकान के छत अलवेस्टर उठाकर अज्ञात चोर द्वारा दुकान अंदर कपड़े का 02 बैग चोरी कर ले गया। बैगों के अंदर बिक्री के लिये रखा हुआ 25 नग जिंस, शर्ट करीब 20 नग कीमती करीबन 10,000 रूपये था। चोरी की रिपोर्ट थाना घरघोड़ा में दुकान संचालक राजेन्द्र आहुजा उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 08 फोकटपारा घरघोडा द्वारा आज सुबह थाना घरघोड़ा में दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 215/19 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

स्कूली बसों का किया गया भौतिक सत्यापन

» परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गयी जांच

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर रायगढ़ के आदेश के परिपालन में संयुक्त कलेक्टर व जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राजकुमार मिंज के मार्गदर्शन में मिनी स्टेडियम रायगढ़ में शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों के संपूर्ण मूल दस्तावेज, वाहन चालक का लायसेंस सहित वाहन का भौतिक निरीक्षण किया गया। कुल 68 बसों की जांच में 50 बसें सही पायी गयी एवं 13 बसों में त्रुटियां पाये जाने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत चालानी कार्यवाही करते हुए 18700 रुपए शमन शुल्क वसूल किया गया। एरिसेन्ट पब्लिक स्कूल रायगढ़ की दो बसों को टैक्स परमिट एवं अन्य त्रुटियां पाये जाने के कारण थाना चक्रधर में जब्त कर खड़ा किया एवं उसी स्कूल की तीन बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए निर्देशित किया गया कि तत्काल त्रुटियों को सुधारे एवं टैक्स का भुगतान करें।

क्या कोल् ब्लॉक पर लग सकता है ग्रहण?

न्यायसाक्षी रायगढ़। कम्पनी हेतु संस्थित जनसुनवाई/लोक सुनवाई के विरुद्ध जो जनमानस है, वो मुख्यतः पेसा (PESA ie., Panchayat Extension to Scheduled Areas) कानून के तहत् संविधान की अनुसूची 5 के तहत् समाविष्ट है। विदित हो कि, इन समस्त ग्राम में जो कि उक्त सूची के तहत् हैं, बिना ग्रामसभा की अनुमति के शासन अथवा प्रशासन के द्वारा, किसी कम्पनी की स्थापना नहीं की जा सकती है, और ना ही विस्थापन सम्बंधी कार्य का क्रियांन्वन किया जा सकता है, और यदि इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो यह उक्त पेसा कानून का स्पष्ट उलंघन है, और ऐसी स्थिति में कम्पनी को लाभ दिलाया जाना स्पष्ट परिलक्षित है, यह निश्चित रुप से ग्रामवासियों के विरुद्ध अनावश्यक ''दमन'' की कार्यवाही को दर्शित करता

क्या होगा पेसा कानून का छत्तीसगढ़ में?

है, अतः इस बात का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किए जाने का फैसला ग्रामीणों के द्वारा किया गया था।

पेसा कानून के तहत् आने वाला जनमानस, राज्य के मुखिया से बहुत उम्मीद रखता है क्योकि, अब तक शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार किसी जन-आंदोलन को अपनी ओर से समर्थन दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के खनन प्रभावितों द्वारा किये जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि हम स्थानीय ग्रामीणों के साथ हैं। दरअसल हसदेव अरण्य क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीण पिछले कई दिनों से अपने क्षेत्र में खनन न किये जाने को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्होंने दीवाली भी धरनास्थल पर ही मनाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी कोल ब्लॉक को लेकर पिछले दिनों काफी हंगामा हुआ था और ग्रामीणों ने विरोधस्वरूप जनसुनवाई में हिस्सा ही नहीं लिया था। जिनने भी हिस्सा लिया था, वे बहुत कम संख्या में थें, लेकिन इसके बाद भी जनसुनवाई को पूर्ण माना गया जो कि ग्रामीणों का विचलित किए जाने के लिए काफी है।

हसदेव अरण्य का क्षेत्र हो या रायगढ़ का तमनार क्षेत्र दोनों जगह पेसा कानून लागू है और बिना ग्राम सभा के इजाजत वहां कोई खदान नहीं खुल सकती, लेकिन पूर्व के सरकारों द्वारा पेसा एक्ट को दरकिनार कर खदान की न सिर्फ अनुमति दे दी गयी थी, बल्कि वहां भारी मात्रा में विस्थापन भी हुआ। स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन सरकारों ने ऐसे आंदोलनों को कुचलने का ही काम किया, लेकिन राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने इन तमाम आंदोलनों को अपना समर्थन देकर यह जताने की कोशिश की है कि सारे फसाद की जड़ दिल्ली है न कि रायपुर। गौरतलब है कि, सरकार बनने से पूर्व भी भूपेश बघेल ने तमाम ऐसे आंदोलनों में न सिर्फ शिरकत की थी, बल्कि उनको बाकायदा समर्थन भी दिया था। उस समय भूपेश बघेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। सरकार बनने और राज्य का मुखिया बनने के बाद यह कहा जा रहा था कि यह सरकार भी उसी चरित्र में ढल जाएगी, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल ने ऐसे आंदोलनों को अपना समर्थन दिया है इससे जाहिर है कोलब्लॉक के मुश्किल दिनों की शुरुआत हो गई है।

आपको बता दें कि, हसदेव अरण्य क्षेत्र के प्रस्तावित कोल ब्लॉक में 20 गांव पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है वहीं रायगढ़ के तमनार विकासखंड के गारे पेलमा में 3 कोल ब्लॉक प्रस्तावित हैं जिनमें एक कि तो बाकायदा जनसुनवाई तक हो चुकी है। इस तीन कोल ब्लॉक के कारण विकासखंड के 56 ग्रामों का अस्तित्व खतरे में है। कहने को यह ब्लॉक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात को दिया गया है, लेकिन बैक डोर से इसका एम0ओ0यू0 किसको दिया गया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है।

आपको यह भी बता दें कि जिनके विरुद्ध पुलिस ने जनसुनवाई के दिन के सापेक्ष में प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराध दर्ज किया था, उनमें से लगभग सभी का मामला माननीय उच्च-न्यायालय के समक्ष लंबित है। पुलिस के द्वारा दर्ज एफ0आई0आर0 में 6 लोगों के अलावा 35-40 अन्य के द्वारा अपराध कारित किया गया ऐसा लेख होने से ग्रामीणों के मध्य असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

स्थानीय प्रतिभाओं के लिए उपयुक्त मंच है युवा महोत्सव-विधायक प्रकाश नायक

» बरमकेला में विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। बरमकेला विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ.शक्राजीत नायक पूर्व सिंचाई मंत्री उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह एक अभिनव पहल है जिससे ग्रामीण कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने तथा उसे निखारने का अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम के समापन में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाओं को एक उपयुक्त मंच प्रदान किया जा रहा है जिससे वह आगे आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित कर सके। उन्होंने इस महोत्सव का आयोजन करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दिया।

अल्टो कार में परिवहन की जा रही कोडिन फास्फेट सिरप जप्त

» दो कार्टून में भरे हुये 216 नग कफ की शीशी जप्त

» एक अन्य कार्यवाही में धारधार चाकू के साथ पकड़े गये युवक पर आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर नव पदस्थ थाना प्रभारी घरघोडा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा क्षेत्र में नशीली सामाग्रियों के परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। दो दिन पहले दिनांक 01.11.19 की रात्रि तमनार-घरघोड़ा मुख्य मार्ग पर आर्टिका वाहन में शराब परिवहन कर रहे आरोपी को पकड़कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। आज दिनांक 03.11.19 को दोपहर करीब 13.30 बजे दर्रीडीपा मेन रोड़ पर आल्टो कार क्रमांक सीजी 13 डी 4685 में आरोपी नवीन कुमार चौहान पिता राम प्रसाद चौहान उम्र 21 वर्ष सा0 कोटरीमाल थाना घरघोडा को लैलुंगा रोड कोटरीमाल तरफ से कार में अवैध बिक्री के लिये लेकर आ रहे कोडिन फास्फेट सिरप RC Kuff cough syrup के दो कार्टनों के साथ पकड़ा गया है, कार्टूनों में 100-100 एमएल वाली कफ सिरप की कुल 216 शीशी (मात्रा 21.600 लीटर) कीमती 25,920 रूपये रखा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से सिरप बेचा जाता है जिस पर नाकेबंदी कर कार्यवाही किया गया है। आरोपी से कोडिन फास्फेट सिरप व परिवहन में इस्तेमाल कार को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

घरघोडा पुलिस द्वारा कल दिनांक 02.11.19 के शाम करीब 19.15 बजे मुखबिर सूचना पर बैहामुडा मोड के पास सतीश उरांव पिता राम चरण उरांव उम्र 25 वर्ष साकिन तिलकेजा थाना उरगा जिला कोरबा को धारधार चाकु लहराते हुये पकडे थे। आरोपी के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है।

हिंडाल्को के खिलाफ फिर भड़क रहा आक्रोश

» 3 अनापत्ति के बाद भी इस काम के लिए मांगी जा रही अनुमति » तीन ग्राम पंचायत में जमीन ना देने का प्रस्ताव पारित

न्यायसाक्षी रायगढ़। हिंडाल्को को आबंटित गारे पेलमा में अब अंडर ग्राउंड माइंस की जगह ओपन कॉस्ट माइंस कर कोयले का उत्पादन करने की तैयारी की जा रही है। इससे करीब साढ़े 12 सौ एकड़ में फैला जंगल और इस आदिवासी क्षेत्र की आस्था का प्रतीक मोगरा पाठ का पहाड़ है। जिसकी चोटी पर एक तालाब है, बताया गया कि, जो कितनी भी गर्मी में नहीं सूखता है। यह भी बताया गया कि, चोटी पर देवताओं से सम्बंधित कई वाद्य यंत्र है और इसे कोई लेकर नहीं जा सकता है, यहां की मान्यता कुछ ऐसी है।

आपको बता दें कि, कोयले के ओपन कास्ट माइंस के लिए बीते दिवस घने जंगल के पेड़ों की गिनती और मार्किंग का काम किया जा रहा था। जिसकी भनक लगते ही ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया और इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा इस आधार पर की गई कि, पहले ही इस बाबत आपत्ति दर्ज की गई है कि इसके लिए प्रभावित गांव से ग्राम सभा अनापत्ति नहीं ली गई है। जबकि ग्रामीणों द्वारा कोयला उत्पादन के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् उन गांव में ग्रामसभा के अनापत्ति के प्रस्ताव की जरूरत है, जिसका पालन नहीं किया गया।

यहाँ तो कंपनी द्वारा बिना ग्रामसभा प्रस्ताव, और बिना अनापत्ति के ओपन कास्ट माइंस के लिए जंगल की मांग की गई है और जंगल को माइंस में तब्दील करने की मात्र कल्पना से ही ग्रामीण सिहर उठ रहे हैं, इसे उचित नहीं बताया जा रहा है। उनमें इस बात का भी आक्रोश है कि वन विभाग और प्रशासन को भी चाहिए कि ओपन कास्ट माइंस के लिए कम्पनी की मांग को सिरे से खारिज कर पहले अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से ग्राम सभा प्रस्ताव के अनापत्ति की मांग करनी चाहिए। इधर ग्रामीणों द्वारा वनों के विनाश को देखते हुए प्रशासन तक पहुंच कर एक बार फिर ग्रामसभा प्रस्ताव के साथ हिंडाल्को को ओपन कास्ट माइंस के लिए कराए जा रहे काम को तत्काल बन्द किए जाने का निवेदन कर रहे हैं। साथ ही वन भूमि को आद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तातंरित ना करने की मांग भी ग्रामीणों के द्वारा लगातार की जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि आज पास के क्षेत्र के ग्रामीणों की आजीविका वनोपज पर निर्भर आदिवासियों आस्था के पहाड़ सहित इस घने जंगल मे विभिन्न प्रकार के वन्य जीव है जिनका समूल नाश हो जायेगा और पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही जायेगा। कलेक्टर को दिए आवेदन में प्रभावित गांव के पंचायत की ग्राम सभा प्रस्ताव की कॉपी के साथ दिया गया है। मुख्यमंत्री को की गई शिकायत में कोडकेल, सरसमाल, डोंगामहुआ, बालजोर, गारे आदि गांव के लोगों ने जंगल की प्रस्तावित कटाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि ग्राम सभाओं में क्षेत्र के 1200 एकड़ वन भूमि हिंडालको को दिए जाने पर आपत्ति जताई है। कंपनी के मुलाजिम और वन विभाग पेड़ों का सर्वे कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को लिखित शिकायत में आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके बाद भी मार्किंग और सर्वे का काम जारी है।

आदिवासियों के इतिहास से मोरगापाठ भी इस जंगल का हिस्सा

इतने बड़े जंगल को काटकर कोयला खनन किया जाएगा। जिससे वन्यजीवों का आश्रय स्थल भी बर्बाद हो जाएगा। गांव के चारों ओर कोयला खदान होंगे। ग्रामीणों ने सर्वे कार्य तत्काल रोके जाने की मांग की है।

ईआईए रिपोर्ट की तैयारी

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को सरकार टीओआर जारी कर दिया है। पर्यावरण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस पाने के लिए अब कंपनी को नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी होगी। स्वीकृति के लिए जनसुनवाई करानी होगी। वन भूमि हासिल करने में हिंडाल्को को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, ऐसा प्रतीत होता है।

इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की प्रमाणिकता है जरूरी-जिला न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद

» Fair Trial & Investigation कार्यशाला आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के दिशा-निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के तत्वाधान में Fair Trial & Investigation कार्यशाला कलेक्टोरेट परिसर स्थित सृजन सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें अतिथि के रूप में कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भी सम्मिलित हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए रमाशंकर प्रसाद ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी पर जानकारी दी तथा यह बताया कि इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एक ऐसा विषय है जो हमें एक नई सोच और नई खोज के लिए प्रेरित कर हमें जागृत करता है। पुलिस अन्वेषण पश्चात न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की विधि अनुरूप होने की अनिवार्यतः एवं दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर बल दिया। साथ ही इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के संकलन एवं उनके साबित करने की प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य में प्रमाण-पत्र की उपयोगिता को रेखांकित किया।

जिला न्यायाधीश द्वारा रिमाण्ड के विषय पर बताया गया कि किसी मामले के अभियुक्त को रिमाण्ड में लेना है और चौबीस घंटे के समयावधि पूरी हो रही हो तो मजिस्ट्रेट अपने बंगले में भी रिमाण्ड दे सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि समय का इंद्राज किया जावे। आगे उन्होंने पुलिस मामले में विवेचना की गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी तथा अन्वेषण एवं न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान आने वाले समस्याओं पर चर्चा करते हुए पुलिस व न्यायालयीन अधिकारियों के मध्य के सहयोग व समन्वय के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। उपस्थित पुलिस अधिकारियों से अपील की गयी कि वे मामले की गंभीरता से जांच करें, किसी भी स्थिति में निर्दोष व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होना चाहिए।

यदि कोई मामला झूठा प्रतीत हो रहा हो तो ऐसे मामलों को विस्तार से जांच कर उसकी खात्मा एवं खारिजी की जानी चाहिए और उसका न्यायालय की सेन्ट्रल फाईलिंग में इंद्राज कराना चाहिए। एक अपराध के कई मामले दर्ज होने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर भी विस्तार से जानकारी जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों को न्यायालय के साथ सहयोग व समन्वय बनाये रखने का निर्देश दिया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480